संख्या-09/2021/ 59 /कनिप्र/26-3-2021-13(163)/91

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. संबंधित जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. संबंधित मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

लखनऊ: दिनांक : 24 फरवरी,2021

विषय: अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जनपदवार भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण एवं कार्यदायी संस्थाओं के चयन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक,समाज कल्याण के पत्रांक: 172/स.क./एस.सी.पी./नि:शुल्क बोरिंग/2020-21 दिनांक 13 जनवरी,2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण सम्यक विचारोपरान्त समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के कल्याणार्थ विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि से संचालित नि:शुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 15000 भौतिक लक्ष्यों की जनपदवार फांट एवं कार्यदायी संस्थाओं का चयन किया जाता है।

2- जनपदवार लक्ष्यों के आधार पर लाभार्थी/स्थल चयन कर लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति तद्नुसार सुनिश्चित की जाय। पूर्ण की गयी बोरिंग में डुप्लीकेसी होने की दशा में संबंधित जनपद के विभागीय अधिकारी/कर्मचारी तथा कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। निर्धारित लक्ष्यों में यदि संशोधन की आवश्यकता हो तो, इस संबंध में शासन का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत योजना की मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशक,समाज कल्याण एवं शासन को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- नि:शुल्क बोरिंग योजना हेतु निर्धारित किये जा रहे जनपदवार लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चयनित कार्यदायी संस्थाओं को नामित किया जाता है जिनके द्वारा निर्धारित आवंटित बोरिंग कार्य के गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण कराया जाएगा। बोरिंग मानक के अनुरूप न कराये जाने अथवा फर्जी बोरिंग/डुप्लीकेसी होने की दशा में कार्यादयी संस्थाओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

पृ0संख्या-09/2021/ 59 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास),उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह योजनान्तर्गत बोरिंग कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थियों/स्थल चयन शीघ्र करते हुए चयनित सूची नामित कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्यमोग निगम मुरादाबाद/इलाहाबाद।
5- अध्यक्ष ग्रामोद्योग विकास संस्थान सी-1/3/418 विशाल खण्ड-3 गोमती नगर लखनऊ।
6- सचिव, एकीकृत सहकारी विकास संघ लि0, डा0 भीमराव अम्बेडकर मार्ग लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-09/2021/ 59 /क0नि0प्र0/26-3-2020-13(163)/91

दिनांक 24 फरवरी,2021 का संलग्नक।

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	चयनित कार्यदायी संस्था
1	2	3	4
1	अलीगढ़	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
2	मथुरा	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
3	एटा	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
4	संभल	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
5	कासगंज	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
6	देवरिया	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
7	बदायूं	300	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
8	रामपुर	100	लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
	योग-	1000	
9	मुरादाबाद	300	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
10	जे0पी0 नगर	200	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
11	बिजनौर	500	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम मुरादाबाद।
	योग-	1000	
12	कन्नौज	100	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
13	जौनपुर	50	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
14	उन्नाव	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
15	रायबरेली	150	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
16	कानपुर नगर	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
17	कानपुर देहात	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
18	फर्रूखाबाद	50	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
19	प्रयागराज	50	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
20	बलिया	200	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
21	हरदोई	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
22	मैनपुरी	250	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
23	इटावा	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
24	औरैया	250	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
25	पीलीभीत	300	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
26	शाहजहांपुर	400	एकीकृत जनजाति सहकारी विकास संघ लि0, लखनऊ।
	योग-	3000	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र.सं.	जनपद का नाम	भौतिक लक्ष्य	चयनित कार्यदायी संस्था
1	2	3	4
27	गोण्डा	1200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
28	बहराइच	1000	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
29	श्रावस्ती	700	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
30	बलरामपुर	250	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
31	बस्ती	950	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
32	सिद्धार्थ नगर	50	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
33	संतकबीर नगर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
34	गोरखपुर	100	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
35	महाराजगंज	1200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
36	कुशीनगर	150	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
37	मऊ	250	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
38	आजमगढ़	700	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
39	अयोध्या	500	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
40	बाराबंकी	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
41	अम्बेडकर नगर	200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
42	सुल्तानुपर	300	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
43	सीतापुर	850	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
44	लखीमपुर खीरी	1200	ग्रामोद्योग विकास संस्थान नबाबगंज गोण्डा।
	योग-	**10000**	
	कुल योग-	**15000**	

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।